MJCR/01/2019

F.NO. MJCR) 56/2019
CNR NO. MP6901020006/2019

(1)

ORDER SHEET

THE COURT ....

....

अप.क्र. 09/2019

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Preciding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where Necessary
8/1/19	आवेदक रजना पिता धनगावाला की ओर से श्री S. महेश्वरी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451—457 दण्ड प्रकिया संहिता का मय वकील पत्र के प्रस्तुत कर जप्तशुदा वाहन कमांक MP09 BD 8620 को सुपुर्दगी में दिए जाने का निवेदन किया। आवेदन पत्र की नकल आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर की ओर भेजी जाकर केस डायरी मय प्रतिवेदन के आहुत की जावें। आवेदन पत्र सीआईएस में दर्ज किया जावें । प्रकरण केस डायरी प्राप्ति एवं प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु दिनांक 9/1/19 को पेश हो। सही.	नकल ली 8/1/19
9/1/19	राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। प्रार्थी / सुपुर्दगीदार सह अधिवक्ता श्री एस महेश्वरी उपस्थित। प्रकरण आज केस डायरी प्रस्तुती एवं सुपुर्दगी आवेदन धारा 451 / 457 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है। आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर की ओर से अपराध क्रमांक 09 / 19 धारा— 279,337 भादस की केस डायरी मय प्रतिवेदन पेश । प्रार्थी / सुपुर्दगीदार का आवेदन पत्र सक्षेप में यह है कि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य का वाहन मारुति वेन नंबर एम. पी. 09 बी.डी. 8620 को पुलिस थाना अलीराजपुर द्वारा अप.क्र.	[signature]

09/19 अंतर्गत धारा 279,337,, मादस के मामला पंजीबद्ध होकर उक्त अपराध मे जप्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार जप्तशुदा वाहन का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है, वाहन उसके नित्य उपयोग हेतु आवश्यक है। अतः वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे।

अभियोजन की ओर से वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने मे मौखिक रूप से आपत्ति की है ।

प्रकरण में अभियुक्त की ओर से भी वाहन आवेदक को सुपुर्दगी पर दिये जाने मे कोई आपत्ति न होना प्रकट किया ।

उभयपक्षो को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त घटना में अभियुक्त वाहन चालक के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर में धारा–279,337 भादस के अतर्गत अपराध पजीबद्ध है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत **दस्तावेज आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से प्रकट होता है कि आवेदक उसका पंजीकृत स्वामी है। तथा बीमा भी समयावधि में है तथा चालक का ड्रायविंग लायसेंस भी संलग्न है।** प्रकरण के निराकरण मे समय लगेगा,वाहन जप्ती मे पडे रहने से आवेदक को नुकसान होगा। उसके रखरखाव के अभाव मे वाहन में यांत्रिकी खराबी आ जाएगी और उसके मूल्य में भी अत्यधिक कमी होने की संभावना से इकार नही किया जा सकता है।

प्रकरण लंबित रहने के दौरान संपत्ति के व्यय के संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत सुदरभाई अंबालाल देसाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 638 में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी गई है जिसमे यह मार्गदर्शन बताया गया है कि संपत्ति बिना उपयोग के पडे रहने से संपत्ति के मालिक को हानि उठानी पडती है। वाहन न्यायालय या पुलिस को उसको सुरक्षा में रखना पडता है और वाहन लंबे समय तक पुलिस थाने पर रखने से उपयोगी नही रह जाता है। मजिस्ट्रेट ऐसे वाहन स्वामी को जमानत और बंधपत्र लेकर उनको लौटाने के बारे में यथावत आदेश पारित कर सकता है।

ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अवलोकन से वाहन आवेदक का होना दर्शित होता है अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और उसकी ओर से 03 लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तो सहित पेश किया जावे तो वाहन मय दस्तावेज आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर को पत्र प्रेषित हो :— 1. प्रार्थी/सुपुर्दगीदार उक्त वाहन को विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नही करेगा। 2. प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जप्तशुदा वाहन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करेगा। 3. न्यायालय द्वारा आदेश किया जाने पर स्वयं के व्यय से जप्तशुदा वाहन न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। उक्त शर्तो का पालन करने पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु थाना अलीराजपुर को पत्र प्रेषित हो। केस डायरी वापस दी जावे । प्रकरण का परिणाम अंकित कर दाखिल रेकार्ड हो । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर (म.प्र.) पुनरच :—	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pl ad nece
	आदेशानुसार प्रार्थी / सुपुर्दगीदार श्रीमती [illegible] W/o [illegible] ने 3,00,000 /– रु का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया। सुपुर्दगीदार की पहचान आधार कार्ड के आधार पर अधिवक्ता श्री [illegible] ने प्रस्तुत की। बाद विचार सुपुर्दगीनामा न्यायोचित होने से स्वीकार किया गया। जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबद आदेश जारी हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर दाखिल रेकार्ड हो । [signature] विवेक कुमार चंदेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर (म.प्र.)	[illegible] [signature]